अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

L.I.C Housing Finance Ltd Patna

संपत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० 1092/2018

चूँकि श्री मसूद अहमद वो सईद अहमद वो सिबते अहमद वो मो० शरफे अहमद डा० स्व० मोहीउद्दीन अहमद वो बीबी शनिया पत्नीया डा० अब्दुल सलाम स्वा० बीबी शनिया नसीमा खातून डा० मुस्ताक अहमद सा० शेर मोहम्मद बाना लहेरिया सराय दरभंगा ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों एवं अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1-1-06 से ता० 30-6-18 तक तलाश कि गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है। नही

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा शेर मोहम्मद भीगो (राजटोली) बाना लहेरिया सराय जि० दरभंगा नाका नं० 06 मुन्सीपल खेसरा 22422 एवं 22423 (0) मात्र							

जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा।

ज्ञाप सं० 1164 दिनांक 4-7-18

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, L.I.C Housing Finance Ltd को सूचनार्थ।

Patna

जिला अवर निबंधक
दरभंगा
04/07/18

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसका उल्लेख हो।

2. पटटे की दशा में पटटे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया:

(हस्ताक्षर) ..... :

(पदनाम) L.D.C लिपिक :

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की :-

(हस्ताक्षर) ..... :

(पदनाम) L.D.C लिपिक :

कार्यालय:- जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा

तारीख 04/07/2018 मुहर

जिला निबंधन पदाधिकारी
दरभंगा
04/07/18

1. टिप्पणी : इस प्रामाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।
2. निबंधन अधिनियम धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियो (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारो के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जयेंगी ।

(क) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नही की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी ।

(ख) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है चुँकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह संबंध न होना जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।